छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 259/2007</u>

1. श्री राकेश मिश्रा, - अपीलार्थी
दुर्गाजी मंदिर के पास,
रिसाली, भिलाई
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 12 अक्टूबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राकेश मिश्रा द्वारा दिनांक 01.12.2006 को जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के यहॉं जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें दुर्ग जिले की सभी प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यो, प्रधानपाठकों एवं प्रभारियों द्वारा दिये गये कालखण्डों और विषयों की जानकारी मांगी गई थी । उक्त जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 19.01.2007 को प्रथम अपील की गई और उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 22.02.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में संचालक, लोक शिक्षण जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है, उनके द्वारा समयावधि में प्रथम अपील की सुनवाई नहीं की गई, अतः उन्हें भविष्य हेतु सचेत किया जाता है । प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी और वे अधिनियम के अनुसार जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी अपनी सीमा से अधिक जाकर प्राचार्य इत्यादि से जानकारी बुलाई और उसके बाद जो जानकारी प्राप्त हुई थोड़े विलंब से निःशुल्क प्रदान की जा चुकी थी तथा कुछ स्कूलों द्वारा सीधे भी अपीलार्थी को

जानकारी भेजी गई है । जिला शिक्षा अधिकारी का इस संबंध में तर्क सही है कि प्राचार्य एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भी जन सूचना अधिकारी है, अत: अपीलार्थी को सीधे उनके यहाँ आवेदन प्रस्तुत

कर जानकारी ली जाना चाहिए थी और इतनी विस्तृत जानकारी संकलित करने में काफी समय नष्ट हुआ है । अत: जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है तथा प्रकरण में क्षतिपूर्ति भी दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । चूंकि अधिकांश जानकारी अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है और जिन-जिन स्कूलों से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इस संबंध में अपीलार्थी सीधे आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं ।

3/ अत: अपील निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त